निर्णय बद्धस्थान श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अधिघोषित

प्रकरण नं. 10/18 प्रा. पत्र
दायरा दिनांक :- 5-2-18
निर्णय दिनांक :- 17-12-21

<u>उनवान</u>

दीपचन्द पुत्र छगनलाल जाति किराड निवासी निपाना तह. बारां

<u>बनाम</u>

1. श्रीमति कुन्तीबाई पत्नी चन्द्रमोहन पुत्री छगनलाल जाति किराड नि. कोयला
2. श्रीमति प्रेमबाई पत्नी स्व. बाबूलाल
3. अर्जुन पुत्र बाबूलाल जाति किराड निवासी निपाना तह. बारां
4. श्रीमति मधुबाला पत्नी भरत पुत्री बाबूलाल जाति किराड नि. कोयला
5. श्रीमति रतनदेवी पत्नी बद्रीलाल पुत्री बाबूलाल जाति किराड निवासी उन्हेलपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड
6. श्रीमति मनभर पत्नी मुरलीधर पुत्री बाबूलाल जाति किराड नि. लालबाई का चौक शिवाजी नगर बारां
7. श्रीमति रिंकूबाई पत्नी आसाराम पुत्री बाबूलाल जाति किराड नि. बाटमेंडी तहसील खानपुर जिला झालावाड
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA
निर्णय दिनांक :- 17-12-21

अभिभावक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम मौजा निपाना के ख.नं. 640 रकबा 1.64 हे. आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है उक्त आराजी ... छगनलाल की स्वअर्जित आराजी

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है जो उन्होंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.5.1963 से कान्हा पुत्र नारायण व रामलाल पुत्र माधो गुर्जर निवासी निवाना से क्रय की थी प्रार्थी के पिता भूरालाल ने अपने जीवनकाल में अपने खाते की स्वअर्जित आराजीयात ख.नं. 640 रकबा 1.64 हे. का वसीयतनामा दिनांक 7.9.1999 को गवाह मनमोहन मेहता एवं बालू जी एवं महावीर प्रसाद गौड़ की मौजूदगी में प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर प्रार्थी को उक्त विवादित आराजीयात का वसीयती उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था प्रार्थी के पिता भूरालाल की दिनांक 22.6.2013 को वसीयती मृत्यु हो गई है मृतक भूरालाल के खाते की पैतृक आराजीयात खाता नं. 75 के कुल ख.नं. 5 किता रकबा 1.38 हे. के फौती नामा. नं. 320 दिनांक 23.9.2013 के साथ ही विवादित आराजीयात का फौती नामा. भी प्रार्थी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मृतक भूरालाल जी के समस्त विधिक वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया तहसीलदार द्वारा मृतक भूरालाल द्वारा प्रार्थी के पक्ष में की गई वसीयत को अनदेखा कर विवादित आराजीयात बाबत खोला गया नामा. नं. 320 दिनांक 23.9.13 विवादित आराजीयात की हद तक अवैध एवं शून्य है

मृतक भूरालाल की स्वअर्जित आराजी ख.नं. 640 रकबा 1.64 हे. का प्रार्थी वसीयती उत्तराधिकारी होने से उक्त विवादित आराजीयात का प्रार्थी एक मात्र खातेदार कृषक होने की विधिक घोषणा की घोषणा करने का अधिकारी है विवादित आराजीयात अवैध एवं शून्य नामा. संख्या 320 से अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाते दर्ज होने से अप्रार्थीगण विवादित आराजी में प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत करने पर आमादा है साथ ही विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाते दर्ज होने से अप्रार्थीगण विवादित आराजी में अपने हक हिस्से की आराजी को खुर्द-बुर्द कर तृतीय पक्ष हित उत्पन्न करने से रोके जाने बाबत प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी

लगातार - 3

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से निम्न आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश है :–

Scanned with CamScanner

मौखिक प्राप्त संभव नहीं है एवं प्रार्थी को लम्बी खर्चीली एवं उलझन पूर्ण मुकदमे बाजी में गुजरना पड़ेगा तथा प्रार्थी का जीवन बेकार हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थी गण को नोटिस तामील तलब किया गया। अप्रार्थी क्र. 2 ता 7 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी उप निमाना संवत 2072-75 खाता नं. 48 नकल जमाबंदी उप निमाना संवत 2072-75 खाता नं. 50, नकल गिरदा. खसरा सं. 320 उप निमाना, मृत्यु प्रमाण पत्र जयलाल मेहता, मतदाता पहचान पत्र जयलाल, वसीयतनामा दिनांक 7.9.1999, विक्रय पत्र दिनांक 21.5.1963 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक गण पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी बाके उप निमाना तह. बारां में स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्र. 2 ता 7 के पिता जयलाल संयुक्त खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी प्रार्थी के पिता जयलाल की स्वअर्जित आराजी है जिसकी वसीयत दिनांक 7.9.99 को प्रार्थी के पक्ष में गवाहन की मौजूदगी में की गई थी। जयलाल की दिनांक 22-6-2013 को मृत्यु हो गई थी। पटवार जयलाल का फौती नामा. प्रार्थी को बिना सुने हलका जयलाल की आराजी का सभी विधिक वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है जबकि हलका जयलाल की आराजी प्रार्थी के पक्ष में वसीयतनामा किया गया था। हलका जयलाल की स्वअर्जित आराजी है वह अपनी इच्छा से वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है था। अन्य व्यक्तियों के वसीयत के आधार पर नामा. खुल चुके हैं। विवादित भूमि का फौती नामा. खुल गया तब प्रार्थी को पता चला अप्रार्थी गण फौती नामा. का फायदा उठाने के लिए भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा है अप्रार्थी को ऐसा करने के लिए एक अस्थाई ~~निषेधाज्ञा~~ [illegible] जारी

बहस के दौरान [illegible] अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया [illegible] का कथन है कि हलका जयलाल का फौती नामा. पटवारी द्वारा जयलाल के सभी वारिसान को उनकी जा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

लगातार - 4

Scanned with CamScanner

यद्यपि अपील दिये जाने के बाद फौती नामा. खोला गया था। परंतु प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर के पत्र वांछित के आधार पर फौती नामा. को निरस्त खारिज कराने की कार्यवाही की गई जो लंबित की जा चुकी है। अप्रार्थी क्रम 3 के पिता भाईलाल की मृत्यु हो चुकी है अप्रार्थी क्रम 2 प्रजापति एक विधवा महिला है विधवा महिला व उसके बच्चे के जीवन यापन की स्थिति के फर्जी वसीयत प्रार्थी द्वारा तैयार की गई है प्रार्थी उक्त विवादित आराजी से विधवा महिला को बेदखल करने पर आमादा है जयलाल की मृत्यु दिनांक 22-6-2013 को हुई थी तथा फौती नामा. दिनांक 23.9.2013 को खोला जाकर तस्दीक किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र खारीज होने के योग्य पाया जावे

उभय अभिभाषक बहस सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम [illegible] संवत 2072-75 खाता नं. 48 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम [illegible] संवत 2072-75 खाता नं. 50 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज है नकल नामा. नं. 320 दिनांक 23.9.2013 मृतक जयलाल का फौती नामा. दर्ज किया गया है जो मृतक जयलाल के वारिसान के नाम दर्ज होना पाया जाता है नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 8-7-2013 के अनुसार जयलाल की मृत्यु दिनांक 22.6.2013 को होना दर्ज है नकल वसीयतनामा दिनांक 7.9.99 जयलाल पुत्र रतनलाल जाति किराड़ की निष्पादन द्वारा अरविन्द पुत्र दीपचंद पुत्र जयलाल किराड़ के पक्ष में किया जाना पाया जाता है वसीयत में मृतक जयलाल द्वारा कान्हा पुत्र नारायण, रामचंद पुत्र माधो मुकाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.5.1963 को 10 बीघा भूमि क्रय किया जाना अंकित है नकल विक्रय पत्र दिनांक 21.5.1963 को कान्हा पुत्र नारायण, रामचंद पुत्र माधो से मृतक जयलाल द्वारा क्रय किया जाना अंकित होना है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी [illegible] जयलाल की स्वअर्जित आराजी है पैतृक आराजी नहीं है [illegible] आराजी पैतृक आराजी होने अप्रार्थी गण को [illegible] का दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत

लगातार-5

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

पेश करना चाहिये था। जो अप्रार्थी गण द्वारा पेश नहीं किया है जिस प्रकार अप्रार्थी गण द्वारा अपने जवाब मे वादीगणान को मर्जी व खुद रजिस्ट्री बताया जाता है अप्रार्थी गण द्वारा वादीगणान को फर्जी साबित नहीं किया जाता है विवादित भूमि के सम्बन्धित पक्षकारान के मध्य विवाद को देखते हुए अप्रार्थी गण व प्रार्थी गण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है,

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी गण व प्रार्थी को मूल वाद के निर्णय तक उभय अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सियाणा तह० बारां के ख०नं० 640 रकबा 1.64 हे० के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner